

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 29.11.2022\***

**\*पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 29.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण\*:-**

- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र बाबूराम सैनी निवासी ग्राम हुसैनपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा दहेज मृत्यू के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय ग्राम नयागांव थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम पत्थर कुट्टी थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने तथा जमीन का फर्जी बैनामा कराने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त दयास्वरूप पुत्र पूसा निवासी कृपानाथपुर पक्कापुल थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा गाली गलौच व मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने व दौराने उपचार मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त रामकेश पुत्र बून्दी सिंह निवासी ग्राम देहरी बुजुर्ग थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से एक राय होकर मारपीट करने, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी सुल्तान मौलवी उर्फ नवादा थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया । जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया ।